राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–925/2023

रामनारायण मीणा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेटीओ200336010460)

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
4. उपवन संरक्षक, टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.02.2023

आदेश की दिनांक : 10.05.2023

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कमल कुमार माथुर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपनी इस अपील में अपीलार्थी ने उप वन संरक्षक, टोंक द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.02.2023 को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर सितम्बर 2003 में वनरक्षक के पद पर में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13.09.2003 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति अगस्त 2018 में सहायक वनपाल के पद पर की गई। तब से अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के उक्त पद पर लगातार कार्यरत् है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी की ड्यूटी रेंज निवाई में गश्ती दल में लगाई गई। उसके पश्चात् अपीलार्थी के पास नाका सदर का चार्ज था। अपीलार्थी कभी भी नाका रजवास में पदस्थापित नहीं रहा। पूर्व में नाका रजवास में मुकेश कुमार मीणा पदस्थापित था तथा नाका रजवास प्रत्यर्थी सं. 3 के आदेशानुसार आदेश दिनांक 02.01.2023 के द्वारा मुकेश कुमार मीणा को नाका रजवास का चार्ज दिया गया तथा दिनांक 02.01.2023 से नाका रजवास में मुकेश कुमार मीणा कार्यरत् है। अपीलार्थी उक्त क्षेत्र

में कार्यरत् नहीं है। फिर भी बिना ड्यूटी के ही तथा बिना किसी लापरवाही के प्रत्यर्थी सं. 3 ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 07.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए अपीलार्थी को बिना किसी दोष के ही निलम्बित करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन मुख्य वन संरक्षक, अजमेर में किया गया जो अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। आलोच्य आदेश में प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा अंकित किया गया है कि वन क्षेत्र में अवैध कटाव की शिकायतें प्राप्त होने पर औचक निरीक्षक किया गया, जिसमें करगिल शहीद वृक्षारोपण वन खण्ड रजवास एवं इनके नजदीकी वन क्षेत्र में कटर मशीन व कुल्हाड़ी से अवैध कटाव कर वन सम्पदा को चोरी कर ले जाने की शिकायतों की जांच करने हेतु उक्त क्षेत्र का निरीक्षण करने एवं स्थानीय निवासियों से वार्ता करने पर प्रथमदृष्ट्या उक्त घटनाओं की पुष्टि होती है तथा रोकथाम व वैधानिक कार्यवाही का अभाव पाया गया है। इस कारण अपीलार्थी को निलम्बित करते हुए अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, अजमेर में किया गया है। प्रत्यर्थी सं. 3 ने रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही आलोच्य आदेश जारी किया है। प्रत्यर्थी सं. 3 के निर्देशानुसार वन प्रसार अधिकारी निवाई के द्वारा दिनांक 02.01.2023 के द्वारा नाका रजवास में मुकेश कुमार मीणा का पदस्थापन किया गया है। अपीलार्थी नाका सिरस प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.12.2022 के अनुसार पदस्थापित है तथा अपीलार्थी की कभी भी नाका रजवास में ड्यूटी नहीं रही है। फिर भी प्रत्यर्थी सं. 2 ने जानबूझकर जिस कर्मचारी की नाका रजवास में ड्यूटी है, उसको निलम्बित नहीं करते हुए जानबूझकर अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। जबकि अपीलार्थी की रजवास में ड्यूटी नहीं है। प्रत्यर्थी सं. 3 ने रिकॉर्ड व तथ्यों की बिना जांच किये ही बिना दोष के अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा निलम्बित करते हुए मुख्यालय परिवर्तन किया है। जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरुद्ध है। प्रत्यर्थी सं. 3 ने ना तो अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखा है तथा ना हीं अपीलार्थी के विरूद्ध कोई

अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है और ना हीं कोई फौजदारी प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध अन्वेषण विचाराधीन है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की जांच प्रस्तावित किये बिना आलौच्य आदेश के द्वारा उक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम 13 के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को आलौच्य आदेश के द्वारा निलम्बित करते हुए मुख्यालय टोंक जिले से अजमेर जिले में परिवर्तित किया गया है। कार्मिक विभाग ने दिनांक 31.07.2018 को राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के संबंध में यह निर्देश जारी कर रखे है कि प्रशासनिक विभाग के विभागाध्यक्षों या अन्य अधिकारी में निलम्बन की शक्तियां प्रदत्त नहीं है। यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो मुख्य सचिव महोदय एवं शासन सचिव कार्मिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर निलम्बन आदेश जारी करेंगे। प्रकरण को तत्काल पूर्ति हेतु कार्मिक विभाग को प्रेषित करेंगे। उक्त आदेशों के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी सं. 3 ने बिना विभागाध्यक्ष को प्रेषित किये बिना तथा कार्मिक विभाग को भेजे बिना ही आलोच्य आदेश जारी किया है। जो उक्त आदेशों के विपरीत है तथा अपने आप में मनमाना व पक्षपातीपूर्ण आदेश है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 07.02.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी रजवास वनपाल नाका ना होकर वनपाल नाका सदर में बीट है तथा बीट रजवास में होने वाले वृक्षारोपण कार्य के अग्रिम मृदा कार्य अपीलार्थी श्री रामनारायण मीणा द्वारा करवाया जा रहा था। यह भी अंकित किया है कि आदेश दिनांक 02.01.2023 प्रदर्श–2 द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा को बीट रजवास में पदस्थापित किये जाने के आदेश जारी किये गये थे परन्तु अपीलार्थी श्री रामनारायण मीणा द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा को बेट रजवास का चार्ज नहीं दिया गया। बीट रजवास में चल रहे वृक्षारोपण कार्य के अग्रिम मृदा कार्य में कार्य प्रभारी दिनांक 27.01.2023 तक अपीलार्थी श्री रामनारायण मीणा, सहायक वनपाल थे इस सम्बन्ध में बीट रजवास में चल रहे प्लांटेशन रजवास 3 एवं रजवास

भैरू जी की एम. बी. भी अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी इस दौरान बीट रजवास में ही कार्यरत था तथा अपीलार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया। ग्रामीणों द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3 श्रीमान मुख्य वन संरक्षक अजमेर को वृक्षारोपण क्षेत्र में होने वाले अवैध कटान की शिकायत की गई जिस पर श्रीमान मुख्य वन सरंक्षक अजमेर द्वारा उक्कत क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा उपवन संरक्षक टोंक को उक्त अवैध कटान के जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी स. 4 उप वन संरक्षक टोक द्वारा वन प्रसार अधिकारी को उक्त क्षेत्र में कटे हुए पेड़ों की गणना हेतु आदेशित किया गया जिसकी अनुपालना में वन प्रसार अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र में कटे हुए पेड़ो की गणना की गई जिसमें कुल 2431 पेड़ों के ठूंठ मौके पर मिले । आदेश दिनाक 02.01. 2023 प्रदर्श–2 द्वारा बीट रजवास में श्री मुकेश कुमार मीणा को पदस्थापित किये जाने के आदेश तो जारी हुए थे परन्तु अपीलार्थी श्री रामनारायण मीणा द्वारा बीट रजवास का चार्ज श्री मुकेश कुमार मीणा को दिया ही नहीं गया जिसकी पुष्टि बीट रजवास में चल रहे वृक्षारोपण कार्य की कार्यालय रिकॉर्ड में अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एम.बी. से होती है। मुख्य वन संरक्षक अजमेर प्रत्यर्थी सं. 3 को दिनांक 05.02.2023 को वाट्सएप पर वन मण्डल टॉक में अवैध कटाई एवं परिवहन सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई जिस पर प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा दिनांक 06.02.2023 को निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान वृक्षों की अवैध कटाई एवं परिवहन होने के ताजा निशानात पाये गये। अवैध कटाई व परिवहन की पुष्टि निरिक्षण के दौरान उपस्थित गाँव वालों द्वारा भी प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष की गई जिसके बाद आदेश दिनांक 07.02.2023 द्वारा उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए मुख्य वन संरक्षक अजमेर प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा अवैध कटाई व परिवहन की जांच करने हेतू उप वन संरक्षक, टोंक को प्रारम्भिक जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने का आदेश प्रसारित किया तथा साथ ही आदेशित किया कि जो भी कार्मिक / अधिकारी दोषी पाया जायें तो तत्काल उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही कर

जांच रिपोर्ट प्रत्यर्थी सं. 3 को प्रस्तुत करें। आदेश दिनांक 07.02.2023 की अनुपालना में प्रत्यर्थी सं. 4 उप वन संरक्षक टोंक द्वारा प्राथमिक जांच की गई ग्रामीणों के बयान दर्ज किये गये तथा रोकथाम हेतू पदस्थापित स्टॉफ द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के पर्याप्त प्रयास एवं वैधानिक कार्यवाही किये जाने का अभाव पाये जाने पर कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उक्त क्षेत्र में तैनात कार्मिक अपीलार्थी श्री रामनारायण मीणा सहायक वनपाल नाका निवाई सदर रेंज निवाई एवं श्री रामअवतार जाट सहायक वनपाल हाल नाका प्रभारी निवाई सदर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने के आदेश जारी किये गये तथा नियमानुसार निलम्बन कार्यवाही अनुमोदन हेतू उच्च कार्यालय भिजवायी गई जिसका अनुमोदन आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर द्वारा किया गया। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि निलंबन आदेश नियम–13 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। उनका तर्क रहा है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है, ना ही अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है और न ही फौजदारी प्रकरण अपीलार्थी के विरूद्ध अन्वेषण या विचारण में है। अपीलार्थी के उपरोक्त तथ्य पर विचार किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 का नियम–13(1) निम्न प्रकार से है :–

> 13(1). नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति अधिकारी है, या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा।
>
> (क) जहां तक उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लम्बित है :या

(ख) जहां उसके किसी फौजदारी अपराध के संबंध में, अन्वेषण या विचार हो रहा हो।

4. उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि कर्मचारी को उस स्थिति में निलम्बित किया जा सकता है, जहां उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार हो या ऐसी कोई कार्यवाही लंबित हो। इसके अलावा कर्मचारी को किसी फौजदारी अपराध के संबंध में अन्वेषण या विचारण होने की स्थिति में भी निलम्बित किया जा सकता है। आलौच्य आदेश दिनांक 07.02.2023 के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का विचार बनाया हो या उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो। आलौच्य आदेश में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने का कोई हवाला नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई फौजदारी कार्यवाही भी लम्बित नहीं है। निलम्बन आदेश को अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार किये बिना जारी किया जाना नियम–13 को उल्लंघन किये जाने की श्रेणी में आता है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1912/2015 अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2015 में निलम्बन के मामले में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> "We, therefore, direct that the currency of a suspension order should not extend beyond three months if within this period the memorandum of charges/charge-sheet is not served on the delinquent officer/employee; if the memorandum of charges/charge-sheet is served, a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the person concerned to any department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or

handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence."

6. इस प्रकरण में वर्तमान में निलंबन आदेश के तीन माह हो चुके है, परंतु अभी तक अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव तैयार नही किया गया है।
7. उपरोक्त विवेचना के अनुसार हम पाते है कि आलौच्य आदेश दिनांक 07.02.2023 नियम–13 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के प्रावधानों विपरीत जाकर पारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त अजय कुमार चौधरी के मामले में पारित न्याय निर्णय के अनुसार निलंबन आदेश पारित करने के 3 माह तक अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं किये जाने से भी निलंबन आदेश को जारी रखना उचित नहीं है।
8. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी के सम्बन्ध में निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को पुनः पदस्थापित/बहाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को राज्य सरकार अन्य किसी पद पर स्थानान्तरित करने के लिये स्वतंत्र रहेगी। राज्य सरकार अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी करने के लिये स्वतंत्र रहेगी।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)